बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग - 3499 - II / 16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुर्नाविलोकन

श्री एस. एस. धाकड़, अभि. द्वारा आज दि. 05.X.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

173
05.X.16

5/10/16

5/10/16

1- कोमल सिंह पुत्र श्री पन्नूराम,

2- भगवान सिंह पुत्र श्री पन्नूराम,

3- नरेन्द्र (नाबालिग) उम्र 15 वर्ष,

4- अशोक (नाबालिग) उम्र 17 वर्ष,
पुत्रगण सरपरस्त पिता श्री कोमलसिंह,
निवासीगण - ग्राम सोन्हर मजरा धर्मपुर,
तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदकगण

बनाम

1- निर्जेश पुत्र श्री मंगलिया,

2- पातीराम पुत्र श्री मंगलिया,

3- जसमन्त पुत्र श्री मंगलिया,

4- माखन सिंह पुत्र श्री मंगलिया,
निवासीगण - ग्राम सोन्हर मजरा धर्मपुर,
तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

5- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

<u>निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.09.2016 पारित न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 3051-दो/2016</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुर्नाविलोकन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूमि सर्वे नम्बर 218 में भवन बनाकर एवं कृषि कार्य करते हुए चले आ रहे है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3499–दो/16 जिला –शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-10 .16	आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3051–दो/2016 आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3499–दो/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3051–दो/2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 16.09.2016 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 3494–दो/2016 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य

Notice
14/10/16